संख्या-101/2018/882/71-1-2018-जी-54/2018

प्रेषक

शमीम अहमद खान,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 31 मार्च, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व लेखा पक्ष में राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर, मेरठ, आगरा, झॉसी, गोरखपुर एवं इलाहाबाद में ट्रामा सेन्टर का संचालन में मानक मद-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान में हो रही बचतों के सापेक्ष पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2017-18/3777, दिनॉक 07-03-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व लेखा पक्ष में राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर, मेरठ, आगरा, झॉसी, गोरखपुर तथा इलाहाबाद में ट्रामा सेन्टर के संचालन में मानक मद-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान में रू0 50,00,000/- (रू0 पचास लाख मात्र) की बचत के चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय हेतु मानक मद-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान में रू0 50,00,000/- (रू0 पचास लाख मात्र) पुनर्विनियोग कर व्यय किये जाने की स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-निदेशन-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान" के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न बी0एम0-9(1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में हो रही बचतों से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-1072/दस-2018, दिनॉक 31 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(शमीम अहमद खान)
विशेष सचिव

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:- 101/2018/882(1)/71-1-2018 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ।
3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

( अनिल कुमार )
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।